



आईसीएमआर - राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (भारतीय आर्योविज्ञान अनुसंधान परिषद)
ICMR - National Institute of Occupational Health (Indian Council of Medical Research)
मेघाणी नगर, अहमदाबाद-३८००१६.
Meghani Nagar, Ahmedabad-380016

अवकाश के लिए आवेदन पत्र LEAVE APPLICATION

(अनुपूरक नियम २.६ को देखिये/See Supplementary Rule 2.6)

क.प.ओ/P.T.O.

13. (अ) मैं वचन देता/देती हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तन छुट्टी की अवधि में लिये गये छुट्टी के वेतन और आधे औसत वेतन/अर्ध वेतन छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम वापस कर दूंगा/दूंगी, जो छुट्टी की समाप्ति अथवा उसके दौरान मेरे सेवानिवृत्त होने की स्थिति में भैल नियम ८१ (ब) परिशोधित छुट्टी नियमावली १९३८ के नियम २, (ग) (३) के लागू न होने पर रवीकार्य न होती । / I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during the leave on average pay/commute leave and not admissible during the leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the provided to F.F. 81 (b) (ii)/rules 2 (c) (ii) of the revised leave rules 1938, not been applied in the events of my retirement from service at the end of or during the currency of leave.

(ब) मैं अर्जित छुट्टी न होने की अवस्था में छुट्टी का वेतन लौटाने का वचन देता/देती हूँ, जो छुट्टी की समाप्ति पर अजया उसके दौरान मेरे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की स्थिति में परिशोधित छुट्टी नियमावली १९३३ के मूल नियम (२) (ग) नियम (२), (घ) के लागू न होने पर रवीकार्य न होती । / I undertake to refund the leave salary drawn during "Leave Not Due" which would not have been admissible had F.R. (ii) (c) /rules 2 (d) of the Revised Leave rules 1933, not been applied in the event of my voluntary retirement from service at the end of or during the currency of leave.

पार्थी के हस्ताक्षर/Signature of the applicant

दिनांक/Date

14. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और अथवा अनुशांसा :
Remarks and/or recommendation of the controlling officer

सक्षम प्राधिकारी/निदेशक का अनुमोदन
Approval of Competent Authority/Director

हस्ताक्षर/Signature

नाम/Name

नदानाम/Designation

दिनांक/Date

छुट्टी की रवीकार्यता के बारे में प्रमाण पत्र CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

(चाजपत्रित अधिकारी के संबंध में परिषद के लेखाधिकारी द्वारा)
(By Accounts Officer of the Council in case of Gazetted Officer)

दिनांक/Date	से	तक	दिनों
15. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक (अवधि) का (अवकाश का प्रकार) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, १९७२ के नियम के अधीन रवीकार्य है ।/Certified that..... leave for..... days from..... to..... is admissible under the rules C.C.S. (Leave) Rules 1972.			

दिनांक/Date

अनु. अधि./प्रशा. अधि./वर्टि प्रशा. अधिकारी
S.O./A.O./Sr. A.O.

16. रवीकार्य प्रदान करने वाले प्रधाधिकारी का आदेश/Other of the Sanctioning Authority

यदि पार्थी को कोई प्रतिपूरक भत्ता मिलता हो तो छुट्टी रवीकृत करने वाले अधिकारी को पहले लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर पार्थी उसी पद पर या दूसरे पद पर देय समान गत्ते के साथ वापसी/कार्यभार ग्रहण करेगा ।/If the applicant is drawing any compensatory allowance the leave sanctioning authority should state whether on expiry of leave he is likely to return to the same post or another post carrying similar allowance.